न्यायालय– जिला न्यायाधीश, तृतीय, जमुई
वसीयती वाद (Testamentry suit No)–14/2025
(प्रोबेट केस नंबर–08/2022 से उत्पन्न)
ललिता हेम्ब्रम.....आवेदिका

बनाम्

मार्शिला हेम्ब्रम वगैरह.....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री एम0 टुडू ।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री अजय कुमार गुप्ता।

उपस्थित–कमला प्रसाद,
जिला न्यायाधीश, तृतीय जमुई।

आदेश

26.05.2026 उभय पक्षों की हाजरी है, विपक्षी के आवेदन दिनांक–27.04.2026 गवाहों के रिकॉल हेतु तथा उस पर आवेदिका के प्रतियुत्तर दिनांक 16.05.2026 पर विपक्षी के अधिवक्ता अजय कुमार गुप्ता तथा आवेदिका के अधिवक्ता एम0 टुडू को सुना जा चुका है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन को प्रचालित कर निवेदन करते हैं कि सुरेन्द्र टुडू दिनांक 23.04.2025 को विपक्षी के रूप में उपस्थित हुआ था। यह कि उपरोक्त वाद में आवेदिका ललिता हेम्ब्रम की ओर से भिन्न भिन्न तिथियों पर चार साक्षियों क्रमशः विनय सोरेन, विजय कांत बेसरा, सुलेमान हेम्ब्रम किशुन लाल पंडित का साक्ष्य कराया गया है। यह कि विपक्षी सुरेन्द्र टुडू को उपरोक्त चारों साक्षियों का जिरह करने का अवसर नहीं मिला चूंकि विपक्षी सोरेन टुडू के उपस्थित होने के पूर्व भी चारों साक्षियों का साक्ष्य हो चुका है। यह कि उपरोक्त चारों साक्षियों का जिरह/प्रतिपरीक्षण विपक्षी सुरेन्द्र टुडू की ओर होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उपरोक्त साक्षियों को रिकॉल करने का निवेदन करते हैं। आवेदक का आवेदन शपथपत्र से समर्थित है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने प्रतियुत्तर को प्रचालित कर निवेदन किया गया कि इस वाद में विपक्षी सुरेन्द्र टुडू द्वारा दिनांक 27.04.2026 को दाखिल आवेदन विधि एवं तथ्य के अनुरूप पोषणीय नहीं है। यह कि विपक्षी सुरेन्द्र टुडू द्वारा अपने हिस्से की सभी जमीन को भिन्न भिन्न तिथियों में वसीयतनामा निष्पादित कर समाप्त कर दिया गया है तथा आवेदिका द्वारा पूर्व में प्रस्तुत साक्षियों का प्रतिपरीक्षण कराने में आवेदिका को अपूर्णीय आर्थिक क्षति होगी। आवेदिका द्वारा इस वाद में जिन साक्षियों का परीक्षण कराया गया है वे सभी वाद में नोटिस और आम नोटिस निर्गत

लगातार.....

न्यायालय– जिला न्यायाधीश, तृतीय, जमुई
वसीयती वाद (Testamentry suit No)–14/2025
(प्रोबेट केस नंबर–08/2022 से उत्पन्न)

ललिता हेम्ब्रम.....आवेदिका

बनाम्

मार्शिला हेम्ब्रम वगैरह.....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री एम0 टुडू ।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री अजय कुमार गुप्ता।

उपस्थित–कमला प्रसाद,
जिला न्यायाधीश, तृतीय जमुई।

–लगातार–

26.05.2026

करने के पश्चात् माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी सुरेन्द्र टुडू द्वारा को जानबूझकर परेशान करने की नियती से तथा वाद लंबित रखने के उद्देश्य से अत्यन्त विलंब से यह आवेदन दिया गया है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षीगण विधि के दृष्टिकोण से वास्तविक एवं वैध है जिनका प्रतिपरीक्षण हेतु रिकॉल किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना करते हैं कि विपक्षी का साक्षियों को रिकॉल करने का आवेदन दिनांक 27.04.2026 को खारिज किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को रसुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि इस वाद में विपक्षी आम नोटिस के पश्चात् न्यायालय में उपस्थित हुये हैं तथा विपक्षी के उपस्थित होने के पहले भी आवेदिका द्वारा इस वाद में उपरोक्त वर्णीत चारों साक्षियों का साक्ष्य कराया जा चुका है। चूंकि विपक्षी को आवेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं मिला है जो कि न्यायहित में आवश्यक है परंतु आवेदिका के साक्षियों को रिकॉल करने पर आवेदिका को आर्थिक क्षति होगी। अतः विपक्षी का आवेदन दिनांक 23.04.2025 को 2000/– (दो हजार रूपये) खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

जिला न्यायाधीश, तृतीय, जमुई